न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 58/2021 दायरा दिनांक : 06.04.2021

उनवान

अनोख बाई पत्नी रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– चतर बाई पत्नी उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– कालू सिंह आत्मज किशन लाल जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– भूली बाई पत्नी पूरी लाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम लसूडिया बिशन्या, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– रामप्रताप पिता रामलाल जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– हरिसिंह पिता रामलाल जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दयाराम सेन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.06.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी जिससे वाद संख्या – 4/प्रा0पत्र/2017 वास्ते अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 20.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

2 ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड के खाता संख्या 27 नया व पुराना 25 की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5.08 बीघा कुल किता 1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड़ की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में स्थित है। जो कि वादी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी है। इस कारण आगे वाद में उपरोक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी कहा जावेगा।

3 वादिनी सनातन काल से ही उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा पर आने जाने, कृषि उपकरण हल, कूली, बैलगाडी, टेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने का रास्ता सनातन काल से ही खसरा नम्बर 90 की रकबा 1.11 बीघा जो एक सरकारी आराजी है की पश्चिम मेड तथा खसरा नम्बर 78 की पूर्वी मेड से होते हुए खसरा नम्बर 113 की पश्चिमी मेड से होते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 114 तक जाता है।

4 जिस पर वादी सनातन काल से ही उक्त वादग्रसत आराजी पर आने जाने सामन लाने ले जाने व अन्य कृषि उपकरणों का उपयोग

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपभोग करने के लिए उक्त वादग्रस्त आराजी पर जाने के लिए उक्त खसरा नम्बर 90 की पश्चिमी मेड तथा खसरा नम्बर 78 की पूर्वी दिशा की मेड से होते हुए खसरा नम्बर 113 की पश्चिमी मेड का उपयोग उपभोग कर रही है, जो कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का रास्ता 400 फुट लम्बा है।

5 उक्त खसरा नम्बर खसरा नं. 90 रकबा 1.11 बीघा सरकारी आराजी है तथा खसरा नं. 78 रकबा 6.11 बीघा प्रतिवादी सं. 1 कालूसिंह व खसरा नं. 113 आराजी वर्तमान स्थिति में प्रतिवादी अनोखबाई के खाते दर्ज है ।

6 खसरा नं. 113 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा में से प्रतिवादी नं. 2 अनोखबाई ने केसर सिंह के वारिसान गोविन्दसिंह, रणजीत सिंह, गोरधन, मेहरबान, सोपत बाई, काली बाई के हिस्से से दिनांक 29.06.2017 को 4/5 हिस्सा खरीद किया था, तब से ही प्रतिवादी काबिज है। जबकि वादी पूर्व से ही इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करती रही है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने कृषि उपयोग उपभोग के साधन सामान आदि लाने ले जाने का सनातन काल से ही है। वादग्रस्त रास्ते का उपयोग उपभोग वादिनी कर रही है।

7 उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में वादी की वर्तमान स्थिति में सोयाबीन की फसल खडी है तथा 250 संतरे के पौधे उगे हुए हैं जिस पर उक्त प्रतिवादीगण वादी को अपनी उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तथा इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 ने वादी को जाने जाने, सामान ले जाने, फसल काटने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर जाने वाली मेड जिसकी लम्बाई 400 फुट है पर भी उक्त प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने कांटे डाल दिये हैं व निकलने पर गाली गलोच कर मारने पर आमादा हुए। जिससे

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी का बैलगाडी, सामान, हल कूली ट्रेक्टर ट्राली आदि जाने ले जाने का एक मात्र रास्ता बाधित हो गया है। जिसे खुलासा करवाने, विस्थापित करने एवं सदैव के लिए बहाल व सुचारू रखवाने को वादी का हक हासिल है। नकल जमाबंदी वाद के साथ सलंग्न है।

8 प्रतिवादीगण के खिलाफ रास्ते को अवरोध करने एवं उसमें अवरोध पैदा नहीं करने को लेकर वादिनी ने तहसीलदार तहसील पचपहाड़ को भी पूर्व में आवेदन दिया है जिस पर मौके पर कानूनगों एवं पटवारी मौके पर आये तथा प्रतिवादीगण को रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करने को लेकर समझाईश की, किन्तु प्रतिवादीगण झगड़ा करने पर आमादा है तथा रास्ते से निकलने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।

9 दिनांक 19.09.2017 को पटवारी, कानूनगों व तहसीलदार पचपहाड़ की पालना में वादग्रस्त आराजी पर पहुंचे। जहां प्रतिवादीगण को रास्ते के खुलासे हेतु समझाईश की लेकिन दोनों प्रतिवादीगण ने रास्ता छोड़ने से मना कर दिया, इस कारण पटवारी व कानूनगों द्वारा मौके पर मौका रिपोर्ट बनाई जिसमें धारा 251 ए के तहत श्रीमान् के यहां कार्यवाही करने के लिए पाबन्द किया, इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

10 वादिनी वादग्रस्त आराजी पर जाने वाले वादग्रस्त रास्ता जो चरण संख्या 2 में उल्लेखित किया है, जो 400 फुट लम्बा है चौडाई में 12 फुट है की नियमानुसार डी.एल.सी. दर से रास्ते बाबत राशि जमा कराने को भी तैयार है।

11 वादिनी को प्रतिवादीगण उसके हिस्से की आराजी पर आने जाने, फसल काटने में रूकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12 अतः वादीगण प्रार्थना करता है कि ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड़ में खाता संख्या 27 नया व पुराना 25 की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5.08 बीघा कुल किता 1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड़ की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में स्थित है। जो कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी है।

13 यह कि वादी सनातन काल से ही उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा पर आने जाने, कृषि उपकरण हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने का रास्ता सनातन काल से ही खसरा नम्बर 90 की रकबा 1.11 बीघा जो एक सरकारी आराजी है की पश्चिम मेड तथा खसरा नम्बर 78 की पूर्वी मेड से होते हुए खसरा नम्बर 113 की पश्चिमी मेड से होते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 114 तक जाता है। जिस पर वादी सनातन काल से ही उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने सामान लाने ले जाने व अन्य कृषि उपकरणों का उपयोग उपभोग करने के लिए उक्त वादग्रस्त आराजी पर जाने के लिए उक्त खसरा नम्बर 90 की पश्चिमी मेड तथा खसरा नम्बर 78 की पूर्वी दिशा की मेड से होते हुए खसरा नम्बर 113 की पश्चिमी मेड का उपयोग उपभोग कर रही है, जो कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का रास्ता 400 फुट लम्बा है। इस रास्ते में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को अवरोध पैदा करने से रोके जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा वादिनी को इस वादग्रस्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा प्रतिवादी ना करें, इस आशय का आदेश जारी किया जावे।

14 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि–

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15 प्रार्थना पत्र ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड के खाता संख्या 27 की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5.08 बीघा की आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में स्थित है जो कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी है उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने–जाने, कृषि उपकरण, हल, कूली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने का रास्ता सनातन काल से ही खसरा नम्बर 90 की रकबा 1.11 बीघा जो एक सरकारी आराजी है की पश्चिम मेड तथा खसरा नम्बर 78 की पूर्वी मेड से होते हुए खसरा नम्बर 113 की पश्चिमी मेड से होते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 114 तक जाता है, जिस पर वादी सनातन काल से ही उक्त वादग्रस्त पर आने जाने सामान जाने ले जाने व अन्य कृषि उपकरणों को उपयोग व उपभोग करने का रास्ता 400 फीट लम्बा है। खसरा नं. 90 रकबा 1.11 बीघा सरकारी आराजी है तथा खसरा नं. 78 रकबा 6.11 बीघा प्रतिवादी सं. 1 व खसरा नं. 113 आराजी वर्तमान स्थिति में प्रतिवादी अनोखबाई के खाते दर्ज है ।

16 खसरा नं. 113 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा में से प्रतिवादी नं. 2 ने केसर सिंह के वारिसान गोविन्दसिंह, रणजीत सिंह, गोरधन, मेहरबान, सोपत बाई, काली बाई के हिस्से से दिनांक 29.06.2017 को 4/5 हिस्सा खरीद किया था, तब से ही प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। जबकि वादी पूर्व से ही इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने लाने ले जाने का सनातन काल से ही रास्ते का उपयोग कर रही है। वादग्रस्त आराजी पर आने वाले वादग्रस्त रास्ता जो चरण सं. 2 में उल्लेखित किया है जो 400 फीट लम्बा 12 फीट चौड़ा है को नियमानुसार डी. एल.सी. दर से रास्ते बाबत राशि जमा कराने को भी तैयार है।

17 प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया कि ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5.08

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा जो कि वादी की कब्जे काश्त व खाते की आराजी है । सनातन काल से ही उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने, कृषि उपकरण हल, कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने का रास्ता खसरा नम्बर 90 की रकबा 1.11 बीघा सरकारी भूमि की पश्चिम मेड तथा खसरा नम्बर 78 की पूर्वी मेड से होते हुए खसरा नम्बर 113 की पश्चिमी मेड से होते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी तक जाता है। इस रास्ते में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को अवरोध पैदा करने से रोके जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा वादिनी को इस वादग्रस्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा प्रतिवादी ना करें, इस आशय का आदेश जारी किया जावे।

18 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी नम्बर 1 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध दिनांक 14.03.2018 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।

19 प्रकरण जवाब अप्रार्थी नम्बर 2 में विचाराधीन था कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदकालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 चलाया गया जिसमें प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प कुण्डीखेडा पर रखा गया तथा पक्षकारों को जरिये नोटिस केम्प कुण्डीखेडा पर दिनांक 11.06.2018 उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित हुए। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये तथा मामला कृषि जोत पर आने जाने से सम्बन्धित है।

20 ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट लिया जाना उचित समझता हूं, पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत मेगा केम्प भवानीमण्डी पर दिनांक 30.06.2018 को रखा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गया। अप्रार्थी नम्बर 2 उपस्थित हुआ। प्रकरण में पटवारी हल्का कुण्डीखेडा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

21 प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 1 किता 34 रकबा 60.12 बीघा, खाता संख्या 27 किता 1 रकबा 5.08 बीघा, खाता संख्या 10 किता 2 रकबा 6.17 बीघा, खाता संख्या 13 किता 1 रकबा 5.18 बीघा, नक्शाट्रेस वाके ग्राम बिशन्या, तहसील पचपहाड तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 की प्रमाणित प्रति की गई। इसके अतिरिक्त और कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

22 हमने अप्रार्थी नम्बर 2 को सुना। अप्रार्थी नम्बर 2 ने निवेदन किया कि प्रार्थिया का जिस आराजी पर आने जाने का रास्ता सनातन से बताया गया वहां कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। चूंकि मामला रास्ते से सम्बन्धित होने से इसको पेण्डिंग रखना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए इसका प्रकरण का निस्तारण करना आवश्यक समझता हूं।

23 हमने पत्रावली एवं सलग्न रेकार्ड तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 का अवलोकन किया तथा मनन किया गया। पटवारी की मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु संख्या डी से ई की मेड पर रास्ते हेतु पर्याप्त जगह छोड़ी हुई होना जो खसरा नम्बर 114 पर पहुंचने हेतु (डी ई रास्ते से होकर) ई से एफ तक खातेदारी भूमि स्थित है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

24 खसरा नम्बर 116 व 117 भंवरलाल, शिवलाल, गोपाल सिंह, तूफान सिंह आत्मज नारायण गूजर, बिशन्या व खसरा नम्बर 117/4 गोपाल सिंह आत्मज नारायण गूर्जर, निवासी बिशन्या के खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर नीम व बबूल, खेजडी के पेड हैं ।

25 बिन्दु नम्बर ई से एफ तक जाने हेतु प्रार्थी को 22 गट्ठे की दूरी तक रास्ते हेतु खातेदारी भूमि की आवश्यकता होगी तथा बिन्दू संख्या ए बी सी मेड पर जाने हेतु 35 गट्ठे लम्बाई में खातेदारी भूमि की आवश्यकता होगी। इन दोनों विकल्पों के अतिरिक्त खसरा नम्बर 114 पर जाने हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होना बताया गया है।

26 वादग्रस्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक हो गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिस जोत पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता न हो तो उक्त प्रावधानों के तहत 30 फीट चौडा रास्ता वहां की डी एल सी रेट की दुगुनी राशि सम्बन्धित काश्तकार को दिलवायी जाकर दिया जा सकता है। यहां पर भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का कोई वैकल्पक रास्ता दर्ज नहीं होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है।

27 उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

28 प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 के अनुसार प्रार्थिया को ग्राम बिशन्या की आराजी (डी. ई. एफ. तक) खसरा नम्बर 112, 112/1 में व खसरा नम्बर113 की पूर्वी मेड पर से आने जाने का 30 फीट चौडा गै0 मु0 रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसीलदार पचपहाड से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा तथा वर्तमान डीएलसी रेट भी तलब की जावे। तहसीलदार पचपहाड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त आराजी के कुल रकबे में से रास्ते के रूप में आने वाली भूमि खातेदार की खातेदारी में से कम की जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

29 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

30 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है ।

31 अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के कथन को मानकर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी में होकर नया रास्ता कायम कर वादी को उक्त भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने का तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है ।

32 उक्त विवादित आराजी जिसको वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 अपने खाते की आराजी बताकर तथा कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताकर आयी है उसको उसने 2017 में क्रय किया है। उक्त आराजी पर सनातन काल से प्रतिवादी की आराजी पर आने–जाने की बात गलत अंकित है जबकि रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते की आराजी में पूर्व से ही रास्ता कायम है जिसका वह उपयोग करती आ रही है ।

33 अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व रिकार्ड को देखे बिना मात्र वर्तमान स्थिति को आधार मानकर महज पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है। अतः आदेश जैर अपील हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

34 उक्त प्रकरण में तहसीलदार पचपहाड को स्वयं मौके पर जाकर पूर्व रास्ता व वर्तमान रास्ता की स्थिति आदि की समस्त जानकारी राजस्व रेकार्ड से प्राप्त कर पूर्ण रूप से अपनी रिपोर्ट स्वयं बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिए था जो नहीं की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है। पटवारी द्वारा भी मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व अपीलांट को सूचना नहीं दी गई, ना ही तथा अपीलांट की गैर हाजरी में रिपोर्ट तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय में भेजी गई है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट हर प्रकार से अमान्य है। कानूनन स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था।

35 अपीलांट की भूमि में होकर नया रास्ता कायम करने पर अपीलांट की काश्त की आराजी बरबाद हो जावेगी तथा अपीलांट को भारी क्षति होगी।

36 निर्णय जैर अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांट को निर्णय जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.02.2021 को कार्यालय तहसील पचपहाड का सूचना पत्र प्राप्त होने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई। चूंकि अपीलांट एक महिला है, उसने उक्त नोटिस आने के बाद रूपये पैसों का इंतजाम कर उक्त निर्णय के बारे में अधीनस्थ न्यायालय में मालूमात करवा कर दिनांक 09.03.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जिस पर दिनांक 17.03.2021 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त कर अपीलांट गांव गई तथा पैसों का इंतजाम कर यह अपील पेश कर रही है जो कि सर्वथम जानकारी की दिनांक 11.02.2021 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 17.03.2021 तक की डिले कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जावे।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

37 उक्त अपील में 3 लगायत 5 को सूचना पत्र कार्यालय तहसीलदार पचपहाड़ दिनांक 11.02.2021 में पक्षकार वर्णित करने से पक्षकार रेस्पोडेंट के रूप में बनाया गया है ।

38 अतः प्रार्थना है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के खाते की आराजी में होकर रेस्पोडेंट नम्बर 1 को नया रास्ता नहीं दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

39 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.02.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

40 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

41 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2020(2) पेज 9 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

42 तहसीलदार पचपहाड के पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1646 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1– उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में आने–जाने के लिए नया रास्ता कायम हो चुका है जिसकी जमाबंदी व नक्शा प्रमाणित कर सलंग्न कर दिया गया है।

2– माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के निर्णय दिनांक 30.06.2018 की पालना में नामान्तरकरण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या 498 दिनांक 16.03.2021 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः नामान्तरकरण की प्रति सलंग्न कर दी गई है।

43 इसी कम में निवेदन है कि वर्तमान में अधिक बारिश होने से मौके पर पानी भरा होने से ग्राम बिशन्या की उक्त वादग्रस्त आराजी की स्पष्ट मौका रिपोर्ट बनाया जाना संभव नहीं है।

44 तहसीलदार पचपहाड के पत्र कमांक/राजस्व/2022/1875 दिनांक 22.11.2022 से अवगत करवाया गया कि श्रीमान् के न्यायालय में जैरकार अपील नम्बर 2021/58 अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए में ग्राम बिश्नया, तहसील पचपहाड स्थित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 05.08 बीघा के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मौका कमिश्नर नियुक्त कर उक्त विवादित आराजी की वर्तमान मौका चाही गयी है। जिसकी पालना में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हमराह संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के साथ उक्त वादग्रस्त आराजी का मौका देखा गया। मौके पर उक्त आराजी पर माननीय न्यायालय उपखण्डअधिकारी भवानीमण्डी के निर्णयानुसार रास्ता मौजूद है व प्रार्थी की आराजी आने जाने हेतु काम में आ रहा है। साथ ही प्रार्थी के खाते की उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक न्यूनतम दूरी का रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 308/113 की दक्षिण पश्चिम मेड व खसरा नम्बर 78 के उत्तर पूर्व मेड के मध्य से होकर जाता है।

45 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया ।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 30.06.2018 को अपने निर्णय में ग्राम बिशन्या की आराजी खसरा नम्बर 112, 112/1 में व खसरा नम्बर 113 की पूर्वी की मेड पर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से आने–जाने का 30 फिट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता दिया गया था।

- तहसीलदार पचपहाड़ की रिपोर्ट अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में आने–जाने के लिए नया रास्ता कायम हो चुका है।
- माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के निर्णय दिनांक 30.06.2018 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 16.03.2021 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है।
- प्रार्थी के खाते की उक्त वादग्रस्त आराजी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक न्यूनतम दूरी का रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 308/113 की दक्षिण पश्चिम मेड व खसरा नम्बर 78 के उत्तर पूर्व मेड के मध्य से होकर जाता है।

46 इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2018 के पारित निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2021 को अपील पेश की गई थी। जबकि नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 16.03.2021 से उक्त वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में पूर्व मे ही अमल दरामद हो चुका था। अतः अपीलांट ने अपील लाने में देरी की है तथा अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

47 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

48 निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा